नम्बर व हुक्म जो इस हुक्म में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस हुक में जारी हु
13.5.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नहीं लिखा जा सका है। बहस सुने हुए एक माह से अधिक होने से वकील प्रार्थी को एक तरफा बहस ~~के~~ सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251प. RTA का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :– 7 / 2021

1– लादूलाल पिता कन्हैयॉलाल कुमावत निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
2– नानालाल पिता कन्हैयॉलाल कुमावत निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
3– डूंगालाल पिता कन्हैयॉलाल कुमावत निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
4– गोटूलाल पिता कन्हैयॉलाल कुमावत निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1– गोपाललाल पिता शंकरदास बैरागी निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
2– रतनलाल पिता शंकरदास बैरागी निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक ::– 13.05.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0अधि0

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन प्रार्थना पत्र में इस प्रकार से किया कि हम प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जो अपने कृषि भूमि ग्राम कुलाटियानई में आने जाने के लिए नया रास्ता निकालना चाहते है,इसलिए हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की का अधिनियम संख्या 3 की धारा 251 क की उपधारा (2) के अधीन यह अनुज्ञा पत्र पेश किया है।

यह कि हमारी कृषि आराजी ग्राम कुलाटियानई प0ह0 कुलाटियानई में आराजी खसरा संख्या 275 रकबा 0.800 हैक्टर स्थित जिसमें हम नया रास्ता निकालना चाहते है । कि ग्राम कुलाटियानई में आराजी संख्या 283 किस्त आ.चाह से आराजी संख्या 277 की पश्चिमी सीमसा पर होकर आराजी संया 273 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक रास्ता मौके पर अर्सा कदीम से स्थित है। आराजी संख्या 273 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से आराजी संख्या 273 की दक्षिणी सीमा पर होकर आराजी संख्या 275 में प्रार्थीगण कई वर्षो से आवागमन कर रहे है एवं यहॉ से अपने कृषि औजार ला रहे ले जा रहे है जिसे इस वर्ष खातेदारान ने हांक दिया है जिससे आराजी संख्या 273 की दक्षिणी सीमा पर स्थाई मार्ग हेतु प्रार्थीगण का यह आवेदन प्रस्तुत है।

यह कि आवेदक की आराजी संख्या 275 पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे आराजी संख्या 273 की दक्षिणी सीमा पर होकर 12 फिट चौडे रास्ते की आवयकता है जो नियमानुसार दिलाया जावें।

विपक्षीगण की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र मय सम्मन प्रोसेस व नकलो के प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने को तेयार है। साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आए, विपक्षीगण को सूचना होने के पश्चात भी उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई आराजी पर आवागमन हेतु नये रास्ते के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से मंगवाए जाने हेतु पत्र लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 435 दिनांक 15.11.2022 के पत्र मय रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत चेची की रिपोर्ट, पर्चामौका नजरीनक्शा ,नक्शाट्रेस एवं जमाबंदीयों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/विपक्षीगण गोपाललाल पिता शंकरदास की मौजा कुलाटिया नई खाता संख्या 34 अपनी आराजी नं. 275, 273 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 277 के दक्षिण सीमा पर रास्ता चाहा गया है। जिसकी जांच भू.अ.नि. चेची से करवाई गई जो बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:–

1– प्रार्थीगण की आराजी नं. 275 में पहुचने हेतु मौके पर आ.नपं. 277 की पश्चिमी सीमा पर एवं आराज ीनं. 273की दक्षिणी सीमा पर 4 मीटर चौडा रास्ता बना हुआ है। जो आ.नं. 275 के

स्पर्श करता है। आराजी नं. 273 रकबा 0.42 है, गोपालाल 5/12, रतनलाल 5/12, पिता ंकरदास सोहनबाई पत्नि स्व. ंकरदास 1/6 बैरागी सा.देह के नाम पर एवं आराजी नं. 277 रकबा 2.04 है कालुलाल 1/14, छगनलाल 1/14, रामलाल 1/14, देउ 1/14, भागुती 1/14, रोशनबाई 1/14, शान्ती 1/14 पिता बालुलाल जोधराज पिता केला 1/2 जाति जाट सा.देह के नाम पर खातेदारी क से दर्ज रिकोर्ड है उक्त मौक`पर बना हुआ रास्ता आराजी नम्बर 275के खातेदारी प्रार्थी के लिए आवश्यक है केवल सुविधाजन उपयोग के लिए नहीं है।

2– इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

3– यह रास्ता खातेदारान (प्रार्थीगण) आराजीनं. 275 में पहुचने हेतु न्युनतम मार्ग का रास्ता है।

4– रास्ते हेतु खसरा नं. 273 रकबा 0.42 हैक्टर मे से 0.0280 है, एवं खसरा नं. 277 रकवा 2.04 हैक्टर मे से 0.0240 हैक्टर रकबा आता है।

5– प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार के खडे वृक्ष एवं फसल नहीं हैं रास्तें में किसी प्रकार की संरचाना नहीं होने से नुकसान नहीं है।

6– उप पंजियक बेगूँ से प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दरो की रिपोर्ट करवाकर एवं प्रस्तावित काश्तकारेां को देय मुआवजा राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा से तैयार करवाकर संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

प्रार्थना पत्र में प्राप्त रास्ते की रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई, विद्ववान अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा अपनी बहस प्राप्त रिपोर्ट को सही बताते हुए प्रार्थना पत्र 251 ए को स्वीकार किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है, साथ ही जो रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली विपक्षगण की आराजी हेतु डी.एल.सी. दर से जो राशि बनती है वह प्रार्थीगण राजकोष में जमा कराने हेतु सहमत होने का कथन अधिवक्ता द्वारा किया गया है। हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता प्रार्थीगगण की सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवनलोकन भी किया गया , मौजा कुलाटियानई की आराजी संख्या 273 रकबा 0.4200 हैक्टर भूमि के खातेदार गोपाललाल, रतनलाल पिता शकरदास , सोहनबाई पत्नि स्व. शंकरदास है, जबकि आराजी संख्या 275 रकबा 0.8000 हैक्टर चाही व 399/215 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थीगण गोटूलाल , डुमालाल, नानालाल , लादूलाल पुत्र कन्हैयॉलाल कुमावत है । जबकि आराजी संख्या 277 रकबा 2.0400 चाही भूमि के खातेदार कालूलाल पुत्र हाबूलाल, छगनलाल पुत्र हाबुलाल, जोधराज पुत्र केला, दुउ पुत्री हाबूलाल, भागुती पुत्री हाबूलाल, रोशनबाई पुत्री हाबूलाल व शान्ती पुत्री हाबूलाल सह खातेदार है, प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि इनकी आराजी से भी रास्ते के उपयोग में भूमि ली जाकर इन्हें भी भूमि मुआवजा राशि प्रार्थीण से प्राप्त करने का अधिकार मुताबिक पर्चामोका व रिपोर्ट राजस्व लेखाकार अनुसार है।

रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी.दर से जो मुआवजा राशि का भुगतान काश्तकारान को किया जाना है उसकी गणना तहसील राजस्व लेखकार से करवाई जाकर तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रेषित की है जिसमे, रास्ता ग्राम कुलाटियानई की आराजी नं. 273 कुल रकबा 0.42 हैक्टर मे से 0.0280 हैक्टर (280वर्गमी) व आराजी नं. 277 कुल रकबा 2.04 हैक्टर मे से 0.0240 हैक्टर (240वर्गमी) कुल रास्ता 520 वर्ग मीटर की डी.एल.सी पंजीयन अनुसार 19600/– रूपये है । निम्नानुसार प्रत्येक काश्तकार की मुआवजा राशि समसख्यां मे होगीः–

आराजी नं. 273 मे रास्ते हेतु प्रभावित भूमि 280 वर्गमीटर का मूल्य डीएलसी अनुसार 19600/520 गुणा 280 यानि 10554/– रूपये जो जमाबंदी अनुसार काश्तकारो को देय मुआवजा राशि :–

1– गोपाललाल पुत्र शंकरदास 5/12– 4398/– 2– रतनलाल पुत्र शंकरदास 5/12– 4398/– 3– सोहनीवाई पत्नी स्व.शंकरदास 1/6– 1758/– कुल राशी 10554/–

आराजी नं. 277 मे से रास्ते हेतु भूमि कुल 240 वर्गमीटर प्रीाावित भूमि का मूल्य 19600/520 गुणा 240 यानि 9046/– रूपये जो जमाबंदी अनुसार काश्तकारो को देय मुआवजा राशि :– 1– कालूलाल पुत्र हाबुलाल 1/14 – 646/– 2– छगनलाल पुत्र हाबुलाल 1/14– 646/– 3– जोधराज पुत्र केला 1/2– 4524/– 4– देउ पुत्र हाबूलाल 1/14– 646/– 5– भागुती पुत्र हाबुलाल 1/14– 646/– 6– रामलाल पुत्र हाबुलाल 1/14– 646/– 7– रामलाल पुत्र हाबुलाल 1/14– 646/– 8– शांति पुत्री हाबूलाल 1/14– 646/– कुल राशि 9046/–रूपये का भुगतान काश्तकारान को प्रार्थीगण से कराये

जाने की रिपोर्ट प्रचलित डी.एल.सी.दर के अनुसार की गई जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के प्रावधानानुसार रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मुआवजा राशि सम्बन्धित प्रार्थी द्वारा दो गुनी जमा कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार आराजी नम्बर 273 कुल रकबा 0.42 हैक्टर मे से 0.0280 हैक्टर (280वर्गमी) व आराजी नं. 277 कुल रकबा 2.04 हैक्टर मे से 0.0240 हैक्टर (240वर्गमी) कुल रास्ता 520 वर्ग मीटर की डी.एल.सी पंजीयन अनुसार 19600/- रूपये का दोगुना यानि 39,200/- रूपये प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजी को रास्ते के उपयोग में लिये जाने हेतु राशि जमा राजकोष कराने पर ही प्रार्थीगण को उनकी आराजी नं. 275 मे पहुँचने हेतु मौके पर आराजी नं. 277 की पश्चिमी सीमा पर एवं आराजी नं. 273 की दक्षिणीसीमा पर 4 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायसंगत होगा ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी मौजा कुलाटियानई की आराजी नम्बर 275 रकबा 0.800 हैक्टर भूमि पर पहुँच हेतु विपक्षीगण गोपाललाल पुत्र शंकरदास 5/12, रतनलाल पुत्र शंकरदास 5/12 व सोहनीबाई पत्नी स्व. शंकरदास 1/6 हिस्से की आराजी नम्बर 273 मे से रास्ते हेतु प्रभावित भूमि 280 वर्गमीटर का मूल्य डीएलसी अनुसार 21,108/- रूपये एवं आराजी संख्या 277 मे से रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि 240 वर्गमीटर जो कि काश्तकार कालूलाल पुत्र हाबूलाल 1/14, छगनलाल पुत्र हाबुलाल 1/14, जोधराज पुत्र केला 1/2, देउ पुत्री हाबुलाल 1/14, भागुती पुत्री हाबूलाल 1/4, रामलाल पुत्र हाबूलाल 1/14, रोशनबाई पुत्री हाबुलाल 1/14 व शांति पुत्री हाबुलाल 1/14 हिस्से की भूमि के लिए राशि 18092/- इस प्रकार कुल राशि 21108+ 18092 यानि 39200/- रूपये की राशि विपक्षीगण को उनकी भूमि के उपयोग को रास्ते में लिये जाने हेतु लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बेगूँ के कार्यालय में उक्त राशि जमा कराने पर प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजी मौजा कुलाटियानई की आराजी संख्या 273 मे से रास्ते हेतु 280 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 277मे से 240 वर्गमीटर भूमि कुल भूमि 520 वर्गमीटर 4 मीटर चौडे रास्ते के उपयोग हेतु भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भिजवाई जावे ताकि हिस्सानुसार विपक्षीगण को भुगतान किया जा सके।

आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/275

दिनांक ::-28/5/24

प्रार्थना पत्र संख्या 7/2021 व अनवान लादूलाल बनाम गोपालाल वगै. प्रार्थना पत्र अ. धा. 251 ए आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ